NOTARY

Date 23 SEP 2022

Book No. [illegible] Sl No. [illegible]

प्रपत्र-ग

शपथ-पत्र

मैं, रोहित रमण पिता/पति हेमन्त कुमार सिन्हा

उम्र 33 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 26

मोहल्ला नयाटोला, पोस्ट [illegible] थाना [illegible] जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 26 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 26 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

Rohit Raman

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - SHIVAM KUMAR

   नाम- शुभम कुमार (शिवम कुमार)

   पता- नयाटोला

Dilip Kr. [illegible]
Advocate
23/09

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर Anita Raj

   नाम- Anita Raj

   पता- Naya Tola, Musaffarpur.

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 23/09/2022

Contents of the Affidavit/Dee..
selemnly affirmed and declared
before me through Deponent/Executant
identified by Advocate

लगातार ......

MANOJ KUMAR KAR..
NOTARY MUZAFFARPUR

23/9/2022

•जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष [illegible]

Scanned with CamScanner

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम *नगर परिषद *नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 26 से *पार्षद *उप मुख्य पार्षद *मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम रोहित राणा

पिता/पति का नाम हेमन्त कुमार सिन्हा

1 क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें: शून्य

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शून्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शून्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शून्य
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- शून्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शून्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शून्य

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शून्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शून्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शून्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो शून्य

(क) निष्पादन की तिथि- शून्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- शून्य

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शून्य

(ii) आरोप की प्रकृति एव वाद संख्या- शून्य

Scanned with CamScanner

क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर कैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-

(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिए आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- [illegible] 30(a) [illegible]
(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है
(iii) अपराध संख्या [illegible] ([illegible] - 127/2017, दिनांक-21/08/17 ([illegible])
(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने की न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

3. क्या आपके विरूद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शून्य

(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है-
(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
(iii) अपराध संख्या- शून्य
(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शून्य

5. अपनी परिसम्पति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शून्य

(ii) शहरी भूमि- एक कट्ठा 15 धुर (1 कट्ठा 3/4 धुर) जमीन जिसका अनुमानित मूल्य 1,00,00,000/= एक करोड़ रुपये जो मेरी माता- साधना देवी के नाम से है

(iii) भवन- पक्का मकान अनुमानित कीमत - 25,00,000/= पचीस लाख रुपये जो- मेरे पिता द्वारा निर्मित है

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

Scanned with CamScanner

(ख) चल सम्पत्ति तथा उसकी वर्तमान कीमत।

(i) नकद 25,000/- [illegible] (ii) बैंक बैलेंस [illegible]

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य (iv) बॉण्ड, शेयर शून्य

(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) (उसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन शून्य

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण [illegible] सोना - 50 ग्राम - 2,40,000/-
चाँदी - 250 ग्राम - 15,000/-
कुल - 2,55,000/-
[illegible]

6. **(क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/ वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ शून्य
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज के नाम के साथ अंकित करें-
मैट्रिक — हाई स्कूल [illegible], मुजफ्फरपुर
इन्टरमिडियट — रतिलाल सुरदीपलाल यादव महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर
स्नातक — बाबू लाल राय डिग्री महाविद्यालय शिल्हौड़ी, मढ़ौड़ा (सारण)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर
तिथि- 24/09/2022

Rohit Raman
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

...जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।
...टः- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय। स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

Scanned with CamScanner